

मानक शर्ते

(वन अनुभाग-३, ७० प्र० शासन की पत्र संख्या ७३१४ / १४-३-१९८० / ८२ दि. ३१.१२.६४ द्वारा निर्धारित)

- १- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भौति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
- २- प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
- ३- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संरक्षा अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- ४- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि माँगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- ५- हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
- ६- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देखरेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनायी गयी मुद्रे आदि का भी देखभाल करेगा।
- ७- हस्तान्तरित वन भूमि पर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- ८- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्र का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा कियाजाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं वन्य जन्तुओं से स्वच्छन्द विचरण की अवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
- ९- सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पोधों को एवं वन विभाग के कमचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- १०- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन में करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता, याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि Automatic स्वतः बिना किसी प्रतिकार का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
- ११- सड़क निर्माण के प्रस्ताव पर एलाइनमेन्ट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा। अधीक्षण अभियन्ता "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण" के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी को सम्बन्धित पत्र संख्या ६०८/सी दिनांक १०.०२.८२ में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा जैसे कि अश्व मार्ग बनाना, वन मार्गों का मामूली फेर बदलकर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न हो और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक हो।
- १२- वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
- १३- यन भूमि पर खड़े वृक्षों का निरतारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अथवा वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निरतारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सकें और उनका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

M/S *MF*
उप प्रभागीय वनाधिकारी (वरेली) वन विभाग वरेली
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, वरेली वरेली


For Competent Builders & Developers
21.02.18
Partner Bipin Kumar

- 14- हरतान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हरतान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के रथान पर दस पेड़ों का रोपड़ तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जायें, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30° से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है इसी प्रकार बीज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
- 15- वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त रथल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
- 16- यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है, और नहर की दोनों पटरियों को पवका करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
- 17- उपरिलिखित मानक कार्यों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वह याचक विभाग को मान्य होगी।
- 18- वन विभाग का वार्तविक हरतान्तरण तभी किया जाये जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा लिखित रूप से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

तिथि: / / 2017
स्थान: बरेली।

१०.०३.१८
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बरेली

Competent Builders & Developers


पार्टनर

कॉम्पीटेन्ट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स

For Competent Builders & Developers

 २१.०२.१८
Partner Bipin Kumar


मी.सी.

कॉम्पीटेन्ट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स
बरेली

ठप प्रभागीय वनाधिकारी (बरेली)
हन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली